

न्यायालय अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर

सरकार

बनाम


सनीसिंह वगै०

मुकदमा नम्बर 337/2025/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

30.03.2026

पत्रावली पेश हुई। खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी सनीसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत व अजय सैनी पुत्र मांगीलाल जाति माली मैसर्स— K M Hotel And Family Restaurant मंडा रोड़ संस्कृत स्कूल के सामने खाटुश्यामजी जिला सीकर की ओर से वकील श्री कैलाश सोनी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी को सुना गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उपस्थित आकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 09.06.2025 को निरीक्षण के दौरान हमारे द्वारा विक्रय किये जा रहे सोयाबीन तेल का नमूना लिया गया। उक्त नमूना Sub standard का पाया गया। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। उक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर एवं प्रकरण में प्रार्थी के कारोबार को मध्यनजर रखते हुये प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली के सलंगन दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नम्बर एफ— 4920 खाद्य पदार्थ रिफाईंड सोयाबीन तेल का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण Substandard का पाया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने लोक अदालत की भावना से कारोबार को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु अनुरोध किया। प्रार्थी को भविष्य में अमानक रहित खाद्य पदार्थों का विक्रय किये जाने की हिदायत के साथ एवं खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थीगण के 11,000/- रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये, वरना अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।


न्याय निर्णायक अधिकारी
एवं (अपर जिला मजिस्ट्रेट)
सीकर (राज.)

